परिशिष्ट - पांच

[23/3/2021]

Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश

क्रमांक/1345/रेरा/2020

प्रति,

दिनांक—13.02.2020

प्रबंध संचालक,
म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,
जबलपुर

विषयः— भू—सम्पदा क्षेत्र की परियोजनाओं को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के पूर्व रेरा पंजीयन की पुष्टि कराने बावत्।

जैसे की आप जानते है, प्रदेश सहित देश भर में भू—सम्पदा (विनिमयन और विकास) अधिनियम, 2016 01 मई 2017 से प्रभावशील हो चूका है। रेरा एक्ट एक् केन्द्रीय अधिनियम है जो कि भू—सम्पदा क्षेत्र की सभी आवासीय/व्यावसायिक परियोजना पर लागू होता है। अधिनियम के लागू होने के पश्चात् भू—सम्पदा क्षेत्र की ऐसी सभी प्रचलित/नवीन परियोजनाओं को रेरा पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक हो अथवा जिनमें 8 से अधिक इकाइयों का विकय किया जाना हो। ऐसी सभी परियोजनाओं को विधिक मान्यता एंव उन्हीं इकाइयों को विकय करने की पात्रता तभी प्राप्त होती है जब वह अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्वयं का रेरा में पंजीयन करा ले। इसके बगैर ऐसी परियोजनाएं अवैध होती हैं।

उल्लेखनीय है कि परियोजना के अवैध निर्माण होने पर जहॉ विधि की अवज्ञा होती है वही उंनके आवंटीतियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः विधिक और जनहित दोनों की ही दृष्टि से ऐसी सभी परियोजनाओं को रेरा पंजीयन कराना वांछनीय है।

म.प्र. विद्युत आपूर्ति कोड 2013 की विधि 4.23 के अंतर्गत बहु आवासीय काम्पलेक्स तथा विधि 4.30 के अन्तर्गत आवासीय परियोजना के द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन फार्म में रेरा पंजीयन का उल्लेख कराये जाने से विधिक अपेक्षा तथा जनहीत दोनो की ही पूर्ति होगी।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए कृपया भू—सम्पदा क्षेत्र की रेरा अधिनियम की परिधी में आने वाली परियोजनाओं को विद्युत आपूर्ति दिये जाने के पूर्व यह पुष्टि कराये जाने का अनुरोध है कि वे रेरा में पंजीकृत है। ताकि रेरा पंजीयन नहीं करने वाली अवैध परियोजनाओं को हतोउत्साहित कियां जा सके।

13/2/2020

अध्यक्ष

म.प्र.भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

Rera Bhavan, Arera Hills, Main Road No. 1, Bhopal-462011
Phone : 0755-2556760, 2557955 || Email : secretaryrera@mp.gov.in || Website : www.rera.mp.gov.in